**FORM No. III**

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान ..... आची देवी ..... बनाम ..... तहसीलदार .....

किस्म मुकदमा ..... प्रा०पत्र 136 LRAct ..... मुकदमा नं० ..... 28 ..... सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/07/20 | प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामावतार किंचारलिया ने प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जावे। अप्रार्थी गण से रिपोर्ट/जवाब लिया जाने हेतु तहरीर जारी हो तथा वास्ते तलबी नोटिस जारी हो मिसल आइन्दा दिनांक 20/8/20 को पेश हो। | तामिल 959 29/7/2020 |
| | 19/02/2021<br>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली में इकजाई पेशियों से नियत इकजाई पेशी दिनांक 30/04/2021 से तलब की जाकर पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त जवाब को अभिलेख पर लिया गया।<br>प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई, दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष प्रकरण में निर्णय | |

जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात एवम् भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, मतदाता सूची आदि में प्रार्थीया का नाम "आची देवी पत्नि गुल्लाराम" दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बावड़ी ने भी इस तथ्य का प्रमाण पत्र जारी किया है कि "धन्नी पत्नी गुल्ला" एवम् "आची देवी पत्नि गुल्लाराम" दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। साथ ही भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने भी अपने जवाब में प्रार्थी का नाम "आची देवी पत्नि गुल्लाराम" दुरुस्त किए जाने की अभिशंसा की है। अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

## निर्णय

तन ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 से 117, 123 से 128, 166 170 से 173, 897, 898 और 964 रकबा 13.7100 हैक्टेयर में से 1/40 हिस्सा में प्रार्थी का नाम "धन्नी पत्नि गुल्ला" के स्थान पर प्रार्थी का सही एवम् वास्तविक नाम "आची देवी पत्नि गुल्लाराम" दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>19/02/2021<br>(राकेश कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी<br>खण्डेला (सीकर)<br><br>उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) | |

Scanned with CamScanner